न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र टीआई संख्या/2019/74

1. श्रीनारायण पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. सीताराम पुत्र कृष्णलाल दत्तक पुत्र कन्हैयालाल
2. भंवरलाल पुत्र कृष्णलाल
3. श्यामलाल पुत्र कृष्णलाल
4. धर्मवीर पुत्र कृष्णलाल
5. बिरदीचन्द पुत्र बालू

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

6. हरिनारायण पुत्र जगदीश (दौराने दावा फौत)

6/1 श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व0 श्री हरिनारायण

6/2 मनोज पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण

6/3 राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

6/4 कमलेश पुत्री स्व0 श्री हरिनारायण पत्नी श्री दिनेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम कनका की ढाणी तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

6/5 अनिता पुत्री स्व0 श्री हरिनारायण पत्नी श्री कैलाश जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोरधन नगर, टोल टैक्स तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

6/6 ममता पुत्री स्व0 श्री हरिनारायण पत्नी श्री गणेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम चौगान स्टेडियम, ब्रहमपुरी जिला जयपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसील तहसीलदार सांगानेर।

–अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 24.03.2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal

Date: 2022.06.24 16:40:41 IST

Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र टीआई [illegible] के साथ पेश किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक लगायत छः का [illegible] आराजी भूमि हाल खसरा नंबर 100 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 101 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 102 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 103 रकबा 0.28 है0, खसरा नंबर 120

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

रकबा 0.67 है0, खसरा नंबर 122 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 123 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 131 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 132 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 153 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 19/431 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 203 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 21 रकबा 0.51 है0, खसरा नंबर 210 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 211 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 22 रकबा 0.72 है0, खसरा नंबर 224 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 242 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 243 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 250 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 261 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 264 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 290 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 296 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 308 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 309 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 310 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 311 रकबा 0.60 है0, खसरा नंबर 318/427 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 325 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 326 रकबा 0.18 है0, खसर नंबर 327 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 328 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 338 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 361 रकबा 0.49 है0, खसरा नंबर 362 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 73 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 99 रकबा 0.25 है0 कुल किता 38 कुल रकबा 7.97 हैक्टेयर वाकै ग्राम मुरलीपुरा पटवार हल्का जयपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/8 व अप्रार्थी संख्या एक का हिस्सा 1/8, अप्रार्थी संख्या दो का हिस्सा 1/8, अप्रार्थी संख्या तीन का हिस्सा 1/8, अप्रार्थी संख्या चार का हिस्सा 1/8, अप्रार्थी संख्या पांच का हिस्सा 1/4, अप्रार्थी संख्या छः का हिस्सा 1/8 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। उक्त आराजीयात का आज तक विधिवत बंटवार नही हुआ परन्तु प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के आधार पर बटवारा कर कृषि काश्त करते आ रहे है। परन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की 160 फीट चौडी रोड उक्त आराजीयात खसरा नंबर 22 में बनने के कारण उक्त खसरा नंबर 22 में रोड निकलने के पश्चात् शेष रही भूमि में अप्रार्थी संख्या एक अप्रार्थी संख्या दो लगायत छः के साथ मिलकर दुकानो का निर्माण करना चाहता है जबकि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा कि पहले उक्त भूमि का विधिवत् मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा [illegible] कर लेना। दिनांक 16.12.2019 को अप्रार्थी संख्या एक [illegible] व्यक्तियों के साथ खसरा नंबर 22 की शेष बची भूमि पर [illegible] जबरन कब्जा कर निर्माण करने की गरज से [illegible] खोदना शुरू किया तो प्रार्थी ने उनको मना किया तो अप्रार्थी संख्या एक लगायत छः प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:40:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

साथ गाली गलौच करने लगे व मारपीट करने उतारू हो गये। इस कारण प्रार्थी को यह वाद पत्र वास्ते तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थनापत्र टीआई पेश करना लाजमी हुआ। वाद कारण दिनांक 16.12.2019 से शुरू होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि हाल खसरा नंबर 100 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 101 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 102 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 103 रकबा 0.28 है0, खसरा नंबर 120 रकबा 0.67 है0, खसरा नंबर 122 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 123 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 131 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 132 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 153 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 19/431 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 203 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 21 रकबा 0.51 है0, खसरा नंबर 210 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 211 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 22 रकबा 0.72 है0, खसरा नंबर 224 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 242 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 243 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 250 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 261 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 264 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 290 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 296 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 308 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 309 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 310 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 311 रकबा 0.60 है0, खसरा नंबर 318/427 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 325 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 326 रकबा 0.18 है0, खसर नंबर 327 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 328 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 338 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 361 रकबा 0.49 है0, खसरा नंबर 362 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 73 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 99 रकबा 0.25 है0 कुल किता 38 कुल रकबा 7.97 हैक्टेयर वाकै ग्राम मुरलीपुरा पटवार हल्का जयपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर का विधिवत बंटवारा नही हो जाता तब तक उक्त आराजीयात पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न ही स्वयं करे न ही किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करावाये तथा प्रार्थी के शान्ति पूर्ण उपयोग [illegible] बाधा उत्पन्न न करें।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजात सू[illegible] 2073–2076 की प्रमाणित प्रति, खसरा नक्शा की फोटो प्रति, व[illegible]माग्राम शीशावास की प्रमाणित प्रतिलिपि, असल फोटोग्राफ पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:40:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री बाबूलाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 6 की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. करवाई गई बावजूद सूचना अप्रार्थी संख्या 6 अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी संख्या 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5 की ओर से जवाब टीआई पेश किया गया जिसमें अंकित है कि – खसरा नंबर 22 का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5 ने वर्षो पूर्व ही विभाजन कर अलग–अलग सीमाएं कायम कर ली। तथा खसरा नंबर 22 के दक्षिणी ओर खसरा नंबर 21 स्थित है। जिसका एक हिस्सा 160 फीट लगता हुआ है तथा खसरा नंबर 22 का दक्षिणी हिस्सा जो कि 160 फीट रोड के दक्षिणी ओर शेष रहा है उक्त भूमि खसरा नंबर 22 व खसरा नंबर 21 के प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर मकानात, पशुओ हेतू बाडा एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर रखा है। जहॉ तक उक्त मद में 160 फीट चौडे रास्ते का प्रश्न है तो उक्त भूमि प्रार्थी एवं मिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त आराजीयात की भूमि है जिस पर अपने हिस्सेनुसार मिन अप्रार्थी काबिज काश्त है। मिन अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा अपने हिस्से में स्वयं के निवास हेतु मकानात पशुओं हेतु बाडा एवं बाउण्ड्री व बोंरिग करवा रखा है तथा मिन अप्रार्थीगण 160 फीट रोड पर लगती हुई पर कोई निर्माण कार्य नही कर रहे है। उक्त मद में प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.12.2019 की जिस घटना का उल्लेख किया है कतई अस्वीकार है। दिनांक 16.08.2019 की जिस घटना का उल्लेख किया है ऐसी कोई घटना घटित ही नही हुई है प्रार्थी द्वारा मात्र वाद कारण के आशय से झूठे तथ्य अंकित कर उक्त दिनांक का उल्लेख किया है जहॉ तक खसरा नंबर 22 में निर्माण का प्रश्न है तो उसके संबंध में उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि उक्त निर्माण मिन अप्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2014 में ही कर लिया गया था। तथा मिन अप्रार्थीगण रोड से लगती भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही कर रहे है। अन्त में प्रार्थी द्वारा अनुतोष की मद संख्या "क" में अंकननुसार वाद अधीन भूमि [illegible] बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा कर [illegible] का अनुतोष चाहा है जिसके संबंध में यहॉ उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वाद अधीन भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने वर्षो पूर्व विभाजन कर [illegible] अलग सीमाए कायम कर पुख्ता निर्माण कर लिये है तथा कब्जानुसार तकासमा किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है साथ ही यदी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:40:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आधार पर तकासमा किया जाता है तो भी मिन अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। जहाँ तक अनुतोष की मद संख्या "ख" का प्रश्न है तो जिसके संबंध में उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि मिन अप्रार्थीगण वाद अधीन भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी प्रकार का कोई अनुतोष खिलाफ अप्रार्थीगण प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः अप्रार्थीगण की ओर से जवाब टीआई प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र टीआई खारिज करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। मूलवाद में निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सांगानेर से कुर्रेजात रिपोर्ट चाहे गये है मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है ऐसे में मूलवाद के संरक्षण तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़े।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र टीआई विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 23.12.2019 को कन्फर्म किया जाता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद [illegible] जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 100 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 101 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 102 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 103 रकबा 0.28 है0, खसरा नंबर 120 रकबा 0.67 है0, खसरा नंबर 122 रकबा [illegible] है0, खसरा नंबर 123 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 131 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 132 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 153 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 21 19/431 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 203 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 21 रकबा 0.51 है0, खसरा नंबर 210 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 211 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 22 रकबा 0.72 है0, खसरा नंबर 224 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 242 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 243 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 250 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 261 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 264 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 290 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 296 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 308 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 309 रक[illegible] खसरा नंबर 310 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 311 रकबा 0.60 है0, खस[illegible] 318/427 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 325 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 326 रकबा 0.18 है0, खसर नंबर 327 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 328 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 338 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 361 रकबा 0.49 है0, खसरा नंबर 362 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:40:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

0.09 है0, खसरा नंबर 73 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 99 रकबा 0.25 है0 कुल किता 38 कुल रकबा 7.97 हैक्टेयर वाकै ग्राम मुरलीपुरा पटवार हल्का जयपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौका एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें। निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:40:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner